न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 15/2014 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2014/00066
दायर दिनांक :– 20.02.2014 निर्णय दिनांक :– 14.01.2026

01. केली देवी पत्नी बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
02. किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. विकास कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
04. सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. भरमलराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
02. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई नि. मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा बारू हाल सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
04. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू तहसील बाप में खसरा नम्बर 52 रकबा 19–07 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू तहसील बाप में खसरा नम्बर 52 रकबा 19–07 का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम मोडकिया के खसरा नम्बर 52 का विभाजन प्रस्ताव पूर्व में स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व पूर्व में अपीलकर्ता द्वारा अपील की गई। पूर्व में हुवे विभाजन अनुसार मौके पर सभी पक्षकारान् की तरमीम की गई। वर्तमान तरमीम

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से सभी पक्षकारान् सन्तुष्ट है व किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है। उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मोडकिया के खसरा नम्बर 52 रकबा 19–07 बीघा भूमि का विभाजन पूर्व में किया जा चुका है सभी पक्षकारान की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार दर्ज है। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 52 का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य हो चुका है वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दर्ज है। वर्तमान तरमीम से सभी पक्षकार पूर्णतया संतुष्ट है इसमें हमें किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 53 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

01. केली देवी पत्नी बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
02. किरोडीलाल पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. विकास कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
04. सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. भरमलराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
02. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई नि. मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
03. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा बारू हाल सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
04. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या 15/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना

मुतालिक बाबत् को अदा

आज की तारीख वसूल याबी तक

करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.01.2026 को जारी की गई।

Satya ..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।